

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक प.22(1)न्याय / 22

जयपुर, दिनांक 04-09-2023

**:आज्ञा:**

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में रिक्त पदों का अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री / श्रीमती / सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अतिरिक्त कार्य हेतु आवंटित विभाग
1.	मनीष कुमार उपाध्याय	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय बाड़मेर	उप विधि परामर्शी कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण) (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार एवं शुक्रवार)
2.	पवन चावला	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय झुन्झुनू	उप विधि परामर्शी कार्यालय मुख्य अभियंता(पश्चिम)सी.ए.डी. , बीकानेर (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार एवं शुक्रवार)
3.	निशांत राठौड़	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर, कार्यालय बारां	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर, कार्यालय झालावाड़ (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार एवं शुक्रवार)
4.	रामनिवास मीना	कनिष्ठ विधि अधिकारी विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ, निदेशालय उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर, कार्यालय दूदू (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार एवं शुक्रवार)
5.	निशकला सैनी	कनिष्ठ विधि अधिकारी अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), भरतपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर, कार्यालय डीग (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार एवं शुक्रवार)
6.	चरण सिंह	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर, कार्यालय अलवर	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर, कार्यालय खैरथल (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार एवं शुक्रवार)
7.	पूनमा राम	कनिष्ठ विधि अधिकारी नगर परिषद् बाड़मेर	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर, कार्यालय बालोतरा (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार एवं शुक्रवार)
8.	नेहा खान	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय टोंक	वरिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय कृषि विभाग जयपुर (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार एवं शुक्रवार)

साथ ही इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 10.04.2023 द्वारा श्री विनोद कुमार डाबी, वरिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय, पर्यावरण विभाग, सचिवालय, जयपुर को दिये गये अतिरिक्त कार्य तथा इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 11.08.2023 द्वारा श्रीमती मधुबाला सैनी,

कनिष्ठ विधि अधिकारी, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, श्री महेश कुमार मीना (कनिष्ठ विधि अधिकारी), वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, विशेष योग्यजन, जयपुर, श्री साकीर दीन, कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर, श्री दुष्टंत मीना, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर, श्री विशाल चौधरी, वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, टॉक, श्री प्रिन्स जैमन, वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर, श्री माधव सिंह राठौड़, वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर, श्री हिमांशु शर्मा, सहायक विधि परामर्शी, कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर एवं श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, उप विधि परामर्शी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को दिये गये अतिरिक्त कार्य कार्य के आदेश को निरस्त किया जाता है। शेष यथावत रहेंगे।

आज्ञा से

(आशुतोष कुमारत)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि वे अतिरिक्त कार्य हेतु आवंटित स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।
4. प्रोग्राम, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित विभाग / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव